रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3320] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 10, 2019/आश्विन 18, 1941
No. 3320] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 10, 2019/ASVINA 18, 1941

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर, 2019

का.आ. 3650(अ).—प्रारुप अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ.3544 (अ), तारीख 20 जुलाई, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी, जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 20 जुलाई, 2018 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, प्रारुप अधिसूचना के उत्तर में व्यक्तियों और पणधारियों से कोई भी आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए;

और, मेलासेलवेनूर-कीलासेलवेनूर पक्षी अभयारण्य, जिसे "मेलासेलवेनूर-कीलासेलनवेनूर कनमई" के नाम से भी जाना जाता है, तमिलनाडु में रामानाथापुरम जिला के कादालादी तालुक में सयालकुडी के निकट स्थित है। यह अक्षांश 9°13'47" और 9°12'27" उ और देशांतर 78°32'29" और 78°34'28" पू के बीच स्थित है। अभयारण्य 321.48.5 हेक्टेयर के साथ 78 मेलसेलवेनूर के एस.एफ. सं.166 और 271.59.5 हेक्टेयर के साथ 79 कीलासेलवेनूर के एस. एफ.सं.128 में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 593.08 हेक्टेयर या 5.93 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सरकार ने तारीख 1.12.2010 के अपने सरकारी आदेश जी.ओ (एमएस) सं.206 पर्यावरण और वन (एफ आर.5) के द्वारा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 26क (1) के अन्तर्गत पक्षी अभयारण्य की अंतिम अधिसूचना जारी की है;

और, कई तरह के प्रवासी पक्षी विश्व के भिन्न भागों से भोजन और घोंसले बनाने के लिए यहां आते हैं। ऋतु के दौरान लगभग 16000 पक्षियों से संबंधित 45 प्रजातियां सूचीबद्ध की गई हैं । अभयारण्य में महत्त्वपूर्ण पक्षी पाए जाते है जिसमें वाइट इबिस, ब्लैक इबिस, ओपन-बिल्ड स्ट्रोक, इग्रेट, मैना, टेल्स, बतख, डारटस, बगुला, पेलिकंस आदि सम्मिलित हैं। मेलासेलवेनूर-कीलासेलवेनूर पक्षी अभयारण्य विविध वनस्पतियों और जीवजंतुओं के लिए सबसे बड़ा पर्यावास है और लगभग संकटापन्न प्रजातियों की बहुतायत है जैसे पेलिकन, पेंटेड स्टोर्क, यूरेशियन स्पून बिल्ल, वाइट इबिस, डारटर, फ्लेमिंगो और

जल पक्षियों जैसे सामान्य कूट, पिन टेल, गार्गनी, इग्रेट, जलकाग, ब्लैक विंग्ड स्टिल्ट, किंगफिशर, सामान्य मैना, ब्रहमनि काइट, स्पोटेड ओलेट और 78 से अधिक सामान्य पक्षी अभिलिखित किए गए हैं;

और, अभयारण्य शीतकाल के दौरान प्रवास करने वाली पक्षियों के लिए आदर्श पर्यावास है साथ ही प्रजनन और भोजन आचरण में यहां काफी विविधता है। यह दक्षिण भारत में हेरोनरी प्रजातियों और औपनिवेशिक प्रवासी पक्षियों के लिए घोंसले बनने का एक मुख्य स्थल है। अभयारण्य में पंख वाले पक्षी अक्टूबर से फरवरी तक आते है। आर्द्रभूमि गहराई में अनियमित है, और यदि वर्षा सामान्य है, तो 3 से 5 महीने तक जल रूका रहता है। सफल प्रबंधन उपायों से विविध प्रजनन प्रजातियों और शीतकालीन प्रजातियों की विविधता में वृद्धि करने के लिए आकर्षित किया जाएगा जो बदले में अधिक पर्यटकों, पक्षीविदों और छात्रों को आकर्षित करेगा। पक्षियों को देखने के लिए अभयारण्य का दौरा करने का सबसे अच्छा समय नवंबर-जनवरी है जब पक्षियों की संख्या और प्रजाति की विविधता उच्चतम होती है;

और, मेलासेलवेनूर-कीलासेलवेनूर पक्षी अभयारण्य मूल रूप से सिंचाई टैंक है जिसका उपयोग अक्टूबर से जनवरी तक पूर्वोत्तर मानसून द्वारा रिचार्ज किए गए कृषि के लिए जल भंडारण के लिए किया जाता है। टैंक मार्च से अगस्त तक पूरी तरह सूख जाता है। अभयारण्य मूल रूप से सिंचाई टैंक है, यहां अभयारण्य के अंतर्गत कोई प्राकृतिक वन नहीं है। वन विभाग द्वारा बबूल (अकैशिया निलोटिका*)* बगानों को स्थापित किया जाता है। अभयारण्य में सिंचाई टैंक होने के कारण बहुत ही कम जीवजंतु प्रजातियां (पक्षी-जीव को छोड़कर) हैं जिसमें (एक्सेप्ट अविफना) इंडियन ग्रे नेवला *(हेरपूस्टेस इडवारदे)*, भारतीय पाम गिलहरी *(फनाम्बुलुस पल्मारूम)*, सियार (*कैनिस ऑरियस*), ब्लैक-नैपेड हेरे*(लेपुस निगरिकोल्लिस)* और बंदीकोट रेट *(बंदीकोटा बेंगालेंसिस)* आदि शामिल हैं।

और, अभयारण्य में वनस्पतियों और जीवजन्तुओं की विविधता है जिसमें पक्षी, कीड़े-मकोड़े, तितलियां, सरीसृप और उभयचर सम्मिलित हैं। अभयारण्य में वनस्पति के उदाहरण पानाई (*बोरासस फ्लैबेलिफर एल.*), इरुक्कु (*कैलोट्रोपिस गिगांटे (एल आर.बीआर.*), अवराम, अवराई (*सेन्ना ऑरिकुलटाटा (एल.) रोक्सब.*), पुलिया मरम (*तामारिन्दस इंडिका एल.*), नाई कदुगु, नाई वालई (*क्लियोम विस्कोसा एल.*) आदि; पक्षी के कुछ उदाहरण छोटा ग्रेबे (*टचयबापटुसरूफिकोल्लिस*), स्पॉट-बिलड पेलिकन (*पेलेकेनुसफिलिपेन्सिस*), छोटा कॉर्मोरेंट (*फलाक्ररोकोरक्सनिगर*), ग्रेट कॉर्मोरेंट (*फलाकरोकोरक्सकरबो*), डार्टर (*अंहींगा मेलेनोग्स्टर*) आदि; सरीसृप के उदाहरण हाउस गेको (*हेमिडैक्टिलस फ्रैनाटस*), स्पॉटेड इंडियन गेको (*हेमिडैक्टिलस बरोकि*), गार्डन छिपकली (*कैलोट्स वर्सीकलर*), सामान्य भारतीय स्किंक (*यूट्रोफिस कैरिनाटा*), चेकर्ड कीलबैक (*ज़ेनोक्रोफिस पिस्केटर*), भारतीय कोबरा (*नाजा नाजा*), आदि अभिलिखित किए गए हैं;

और, अभयारण्य में दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियां अभिलिखित है। दुर्लभ प्रजातियों के उदाहरण ग्रेट कॉर्मोरेंट (*फलाक्रोकोरैक्स कार्बो*), परपल बगुला (*आर्देया सिनेरेरिया*), येलो बिट्टर्न (*एलक्सोब्रिचस सीनेन्सिस*), चेस्टनट बिट्टरेम (*एलक्सोब्रिचस सिनामोमस*), ब्लैक बिटरर्न (*इुपेटर फ्लाविकोलिस*), कॉम्ब बत्तख (*सर्किडियोरिस मेलानोटोस*), उत्तरी शोवेलर (*अनास क्लाइपाटा*), सामान्य टील (*अबास क्रेक्का*), सामान्य रेडशैंक (*ट्रिंगा टेटनस*), सामान्य ग्रीनसांक (*ट्रिंगा नेबुलारिया*) और पाइड क्रेस्टेड कोयल (*कलामाटोर जैकोबिनस*) हैं। लुप्तप्राय प्रजातियों के उदाहरण स्पॉट-बिल्ड पेलिकन (*पेलेकनस फिलिप्पेंसिस*) और पेंटेड स्टोर्क (*माईक्टेरिया लियूकोसेफाला*), हैं;

और, अधिसूचित क्षेत्र के असपास तीन ग्रामों, मेलासेलवेनूर, कीलासेलवेनूर, ओरिवायल में क्रमशः कुल जनसंख्या 5855 व्यक्ति के साथ पुरूष 2817 और महिला 3038 है। अधिकांश लोग वर्षा फेड कृषि पर निर्भर करते हैं जबकि शेष दैनिक मजदूरी मजदूरों के रूप में अपनी आजीविका कमाते हैं। ग्रामवासी पल्लान, आगामुदियार, याथवर, असारी, वानन और मुस्लिम समुदायों के हैं। इस प्रकार जातीय पहचान अलग है; तदनुसार परंपरा और रीति-रिवाज भी भिन्न होते हैं। समुदायों के बीच कोई बड़ा मनमुटाव नहीं है और वह अधिकतर विद्यमान सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य के अनुरूप रहते हैं;

और, प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन में रहने वाले लोगों के लिए अर्थव्यवस्था का प्रमुख स्रोत कृषि और सम्बद्ध क्रियाकलाप जैसे कि पशु पालन, मत्स्य-पालन हैं। उनकी आजीविका में ईंट बनाना और कोयला बनाना भी योगदान देता है। हालांकि अभयारण्य के आसपास के ग्रामों में आय का प्राथमिक स्रोत कृषि है, वर्षा की कमी के कारण अक्सर फसलें नष्ट हो जाती हैं। परिणामस्वरूप पशु पालन, जलावन की लकड़ी काटने और बेचने, और कोयला विनिर्माण आय के वैकल्पिक स्रोत बन गए हैं। लगातार फसल का नष्ट होना और आजीविका के अन्य स्रोत न होने के कारण ग्रामों में आय का स्तर काफी कम दर्ज हो गया है। मेलासेलवेनूर ग्राम में औसत वार्षिक आय रु.36000 है जबकि अन्य ग्रामों में यह रु.25000-30000 के बीच है। परिणामस्वरूप, अधिकांश ग्रामवासी गरीबी रेखा से नीचे है;

और, मेलासेलवेनूर-कीलासेलवेनूर पक्षी अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं पारिस्थितिकी पर्यावरणीय से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, जैव विविधिता की दृष्टि सुरक्षित और संरक्षित करना और उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों के प्रचालन और प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात पर्यावरण अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तमिलनाडु राज्य के रामानाथापुरम जिला में मेलासेलवेनूर-कीलासेलवेनूर पक्षी अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 0.019 किलोमीटर से 2.00 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है), के रूप में अधिसूचित करती है, जिसके विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :—

1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं.**-(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा मेलासेलवेनूर-कीलासेलवेनूर पक्षी अभयारण्य के चारों ओर 0.019 किलोमीटर से 2.00 किलोमीटर तक है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्र 11.5108 वर्ग किलोमीटर है।

(2) मेलासेलवेनूर-कीलासेलवेनूर पक्षी अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण **उपाबंध-I** के रूप में संलग्न है।

(3) सीमा विवरण और अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मेलासेलवेनूर-कीलासेलवेनूर पक्षी अभयारण्य के मानचित्र **उपाबंध–IIक, उपाबंध–IIख, उपाबंध–IIग उपाबंध–IIघ** और **उपाबंध–II ङ** के रूप में संलग्न है।

(4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और मेलासेलवेनूर-कीलासेलवेनूर पक्षी अभयारण्य की सीमा के भू निर्देशांकों की सूची **उपाबंध III** की सारणी **क** और सारणी **ख** में दी गई है।

(5) मुख्य बिंदुओं के भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध IV** के रूप में संलग्न है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना— (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना ऐसी रीति से जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए गए हैं के अनुसार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरुप और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(3) आंचलिक महायोजना, उक्त योजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय बातों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:—

(i) पर्यावरण;
(ii) वन और वन्यजीव;
(iii) कृषि;
(iv) राजस्व;
(v) नगर विकास;
(vi) पर्यटन;
(vii) ग्रामीण विकास;
(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;
(ix) नगरपालिका;
(x) पंचायती राज; और
(xi) लोक निर्माण विभाग;

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में जो अधिक दक्षता और पारिस्थितिकी अनुकूल हों का संवर्धन करेगी ।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(6) आंचलिक महायोजना विद्यमान और प्रस्तावित भूमि उपयोग विशेषताओं के ब्यौरों से अनुसमर्थित मानचित्र के साथ सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बस्तियों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और सारणी में सूचीबद्ध पैरा-4 में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों का अनुपालन करेगी और स्थानीय समुदायों की जीविका को सुरक्षित करने के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल विकास को सुनिश्चित और उसकी अभिवृद्धि भी करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना प्रादेशिक विकास योजना की सह-विस्तारी होगी ।

(9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार मानीटरी के अपने कार्यों को करने के लिए मानीटर समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.**—राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:—

(1) **भू-उपयोग.**—(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, उद्यान कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के प्रयोजनों के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक या आवासीय या औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु यह कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और यथा लागू और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, और इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे:—

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुविधाएं सहायक पारिस्थितिकी पर्यटन जिसके अन्तर्गत ग्रह वास सम्मिलित है; और

(v) पैरा 4 के अधीन दिए गए संवर्धित क्रियाकलाप:

परंतु यह और कि प्रादेशिक नगर योजना अधिनियम और राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई गलती, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार ठीक होगी और उक्त गलती के सुधार की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

IndiaCode

परंतु यह और भी कि गलती के संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा;

(ख) वनीकरण तथा वास जीर्णोद्धार क्रियाकलापों सहित अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोतों.**—आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के बारे में जो ऐसे क्षेत्रों के लिए अहितकर हो ऐसी रीति से मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार किए जाएंगे।

(3) **पर्यटन या पारिस्थितिकी पर्यटन.-** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए होगा।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य पर्यटन विभाग द्वारा राज्य पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी।

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जाएगी।

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित होंगे, अर्थात्:—

(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिजॉर्ट के सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होंगे:

परंतु, यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक होटलों और रिजॉर्ट का स्थापना केवल पूर्व परिभाषित और नामनिर्दिष्ट क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए ही अनुज्ञात होगा;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिकी–पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देते हुए (समय-समय पर यथा संशोधित) जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा और मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी नये होटल या रिजॉर्ट या वाणिज्यिक स्थापना का संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जायेगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत.**—पारिस्थितिकी संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और विरासत संरक्षण योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में परिरक्षण और संरक्षण के लिए तैयार की जाएगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.**—पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, स्थापत्य, सौंदर्यपूरक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की और उपक्षेत्रों की पहचान और उनके संरक्षण के लिए विरासत योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में तैयार की जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण**.—पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण और निवारण का अनुपालन किया जाएगा।

(7) **वायु प्रदूषण.**—पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण का वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण.**—पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, साधारणों मानकों के उपबंधों के अनुसार पर्यावरणीय अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण के लिए साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट.**—ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:—

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। अकार्बनिक पदार्थो का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों (ईएसएम) का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट.**—जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:—

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन.**—पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन.**—पारिस्थितिकी संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सां.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(13) **ई–अपशिष्ट.**—पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित द्वारा प्रकाशित ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय यातायात.**—यातायात की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय क्रियाकलापों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(15) **यानीय प्रदूषण.**—लागू विधियों के अनुपालन में वाहन प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण किया जाएगा और स्वच्छक ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां.**—(i) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो; पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर- प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त, गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों को संरक्षण.**—पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार होगा:—

(क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों का संकेत होगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी;

(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची.—पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों जिसके अन्तर्गत तटीय विनियमन जोन अधिसूचना 2011 और पर्यावरणीय समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 और अन्य लागू विधियां के जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) सम्मिलित हैं और किये गये संशोधनों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात्:—

सारणी

क्रम सं. (1)	क्रियाकलाप (2)	वर्णन (3)
	क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाईयां ।	(क) वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने और व्यक्तिगत उपभोग के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनकों तोड़ने की इकाइयां तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध होगा; (ख) खनन प्रचालन, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में प्रचालित होंगी ।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि) उत्पन करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी: परन्तु यह कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्ग दर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार जब तक कि अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हों, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योंगों को बढ़ावा दिया जाएगा।
3.	बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या क्षेत्र भूमि में अनुपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।

7.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
	ख. विनियमित क्रियाकलाप	
8.	वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों लघु अस्थायी संरचनाओं के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्टों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के परे या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें से जो भी निकट हो सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरुप होगा।
9.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार के नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी: परंतु यह कि स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने उपयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी, जैसे:— परंतु यह और कि गैर–प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे । (ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से परे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे ।
10.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
11.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगे ।
12.	फर्मो, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुओं और पोल्ट्री फार्मों की स्थापना ।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लागू विधियों के अनुसार विनियमित (अन्यथा प्रदान किए गए) होंगे ।
13.	वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।

14.	विद्युत और संचार टावरों का परिनिर्माण और केबलों के बिछाए जाने और अन्य अवसंरचनाएँ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। (भूमिगत केबल के बिछाए जाने को बढ़ावा दिया जाएगा)।
15.	नागरिक सुख सुविधाओं सहित अवसंरचनाएं।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाना।
16.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नवीन सड़कों का संनिर्माण।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों तथा उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाना।
17.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारें, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइटस आदि द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
18.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
19.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे।
20.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ दुधशाला, दुग्ध उद्योग, कृषि और मछली पालन।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।
21.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्तारण।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्स्राव के निस्सारण से बचा जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुन:चक्रण और पुन:उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे। अन्यथा लागू विधियों के अनुसार उपचारित बहिर्स्राव के पुनर्चक्रण/प्रवाह के निर्वहन को विनियमित किया जाएगा।
22.	सतह और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
23.	खुले कुंआ, बोर कुंआ, आदि कृषि और अन्य उपयोग के लिए।	सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों की सख्ती से विनियमित निगरानी की जाएगी।
24.	ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
25.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
26.	पारिस्थितिकी-पर्यटन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
27.	पोलिथीन बैगों का उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
28.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
29.	जलने वाले पटाखो का उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
30.	कोयले का जलना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
ग. संवर्धित क्रियाकलाप		
31.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
32.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

IndiaCode

33.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
34.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
35.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का उपयोग।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को बढ़ावा दिया जाना है ।
36.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन का उपयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
39.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
40.	निम्नीकृत भूमि/ वन / वास की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
41.	पर्यावरणीय जागरुकता ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. पारिस्थितिकी संवेदी जोन की अधिसूचना की मानीटरी के लिए मानीटरी समिति.—केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी मानीटरी के लिए मानीटरी समिति का गठन करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:—

क्र.सं.	**मानीटरी समिति का संघटक**	**पदनाम;**
(i)	जिला कलेक्टर, रामनाथपुरम	अध्यक्ष,पदेन;
(ii)	राज्य सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठन का प्रतिनिधि	सदस्य;
(iii)	राज्य सरकार द्वारा नामित जैव विविधता में एक विशेषज्ञ	सदस्य;
(iv)	पारिस्थितिकी और पर्यावरण में एक विशेषज्ञ राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाएगा	सदस्य;
(v)	राज्य लोक निर्माण विभाग का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
(vi)	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
(vii)	वन्यजीव वार्डन, मन्नार मरीन राष्ट्रीय उद्यान की खाड़ी, रामनाथपुरम	सदस्य सचिव।

6. निर्देश–निबंधन: — (1) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(2) मानीटरी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति के पुन: गठन तक के लिए होगा और तत्पश्चात मानीटरी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(3) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित हैं, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके जो पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के, मानीटरी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट किया जाएगा।

IndiaCode

(4) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ.1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित नहीं है, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके पैरा 4 के अधीन सारणी में यथाविनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के, मानीटरी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संविक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएंगा।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण अधिनियम, की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(6) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक के अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को **उपाबंध V** में संलग्न प्रोफार्मा में उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए पर ऐसे निर्देश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

8. इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले कोई आदेश, यदि कोई हों, के अध्यधीन होंगे ।

[फा. सं. 25/16/2018-ईएसजेड]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

IndiaCode

उपाबंध- I

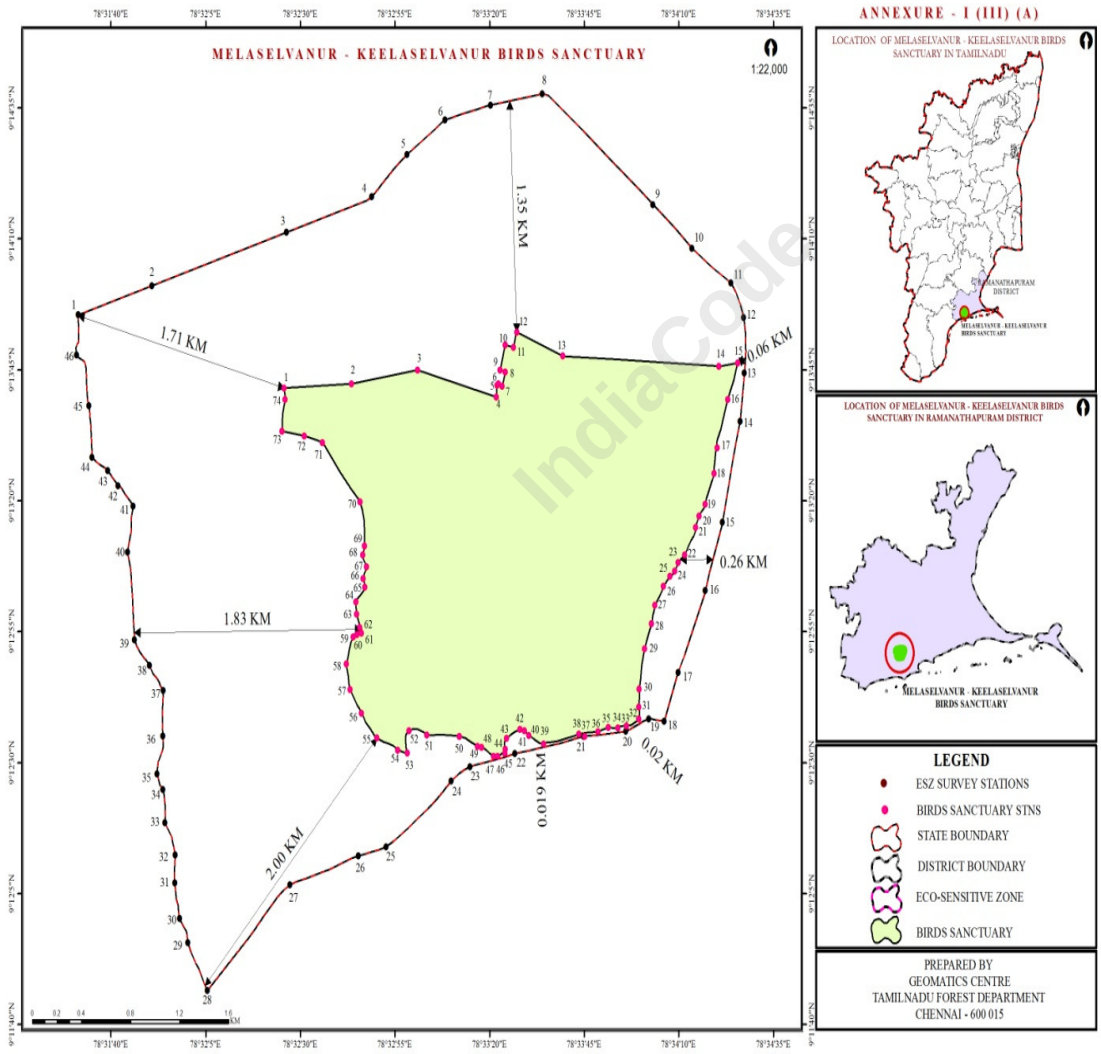
तमिलनाडु राज्य में मेलासेलवेनूर-कीलासेलवेनूर पक्षी अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

उत्तर	सीमा कीलासेलवेनूर-ओरिवायल ग्राम सड़क के बिंदु में मेला-सेलवनूर कनमोई के उत्तर से 1.05 किलोमीटर की दूरी से आरंभ होती है। इसके बाद सीमा ओरिवायल- कीलासेलवेनूर सड़क के साथ उत्तर पूर्वी ओर जाती है यह बिंदु से छूती है जहाँ सड़क कीलासेलवेनूर से ओरिवायल तक सवरियरपट्टीनम ग्राम के लिए द्वि-विभाजित है। इसके बाद सीमा ओरिवायल – कीलासेलवेनूर सड़क के साथ दक्षिण पूर्वी दिशा में जाती है।
उत्तर पूर्व	ओरिवायल – कीलासेलवेनूर सड़क के साथ सीमा सीतादयान ग्राम के दृष्टिकोण सड़क में ओरिवायल – कीलासेलवेनूर सड़क के द्वि-विभाजित बिंदु को छूती है।
पूर्व	इसके बाद सीमा ओरिवायल – कीलासेलवेनूर सड़क के साथ दक्षिण दिशा की ओर जाती है।
दक्षिण पूर्व	इसके बाद सीमा कीलाकराई-सयालगुडी राजमार्ग पर कीलासेलवेनूर – ओरिवायल दृष्टिकोण सड़क के अवरोधन बिंदु को छूती है। इसके बाद सीमा कीलाकराई-सयालगुडी राजमार्ग के साथ पश्चिम की ओर जाती है।
दक्षिण	सीमा कीलासेलवेनूर कनमोई के दक्षिण और कीलाकराई-सयालगुडी राजमार्ग (ईसीआर सड़क) के साथ मेलासेलवनूर कनमोई जाती है।
दक्षिण पश्चिम	इसके बाद सीमा कीलाकराई-सयालगुडी राजमार्ग (ईसीआर सड़क) पर सतनगुडी ग्राम दृष्टिकोण सड़क के अवरोधन बिंदु को छूती है। इसके बाद सीमा सतनगुडी ग्राम दृष्टिकोण सड़क के साथ उत्तर की ओर जाती है।
पश्चिम	इसके बाद सीमा सतनगुडी-वेदानदई ग्राम दृष्टिकोण सड़क (मिट्टी सड़क-फुट पाथ) के साथ और अलंगुलम कनमोई और मीननगुडी कनमोई के सामान्य बांध पर उत्तर की ओर जाती है।

उत्तर पश्चिम	इसके बाद सीमा अलंगुलम कनमोई के पश्चिमी बांध के साथ जाती है यह अलंगुलम और मीननगुडी कनमोई के सामान्य बांध के उत्तरी टिप बिंदु को छूती है। इसके अतिरिक्त सीमा आरंभिक बिंदु को छूकर उत्तर पूर्वी दिशा में जाती है।

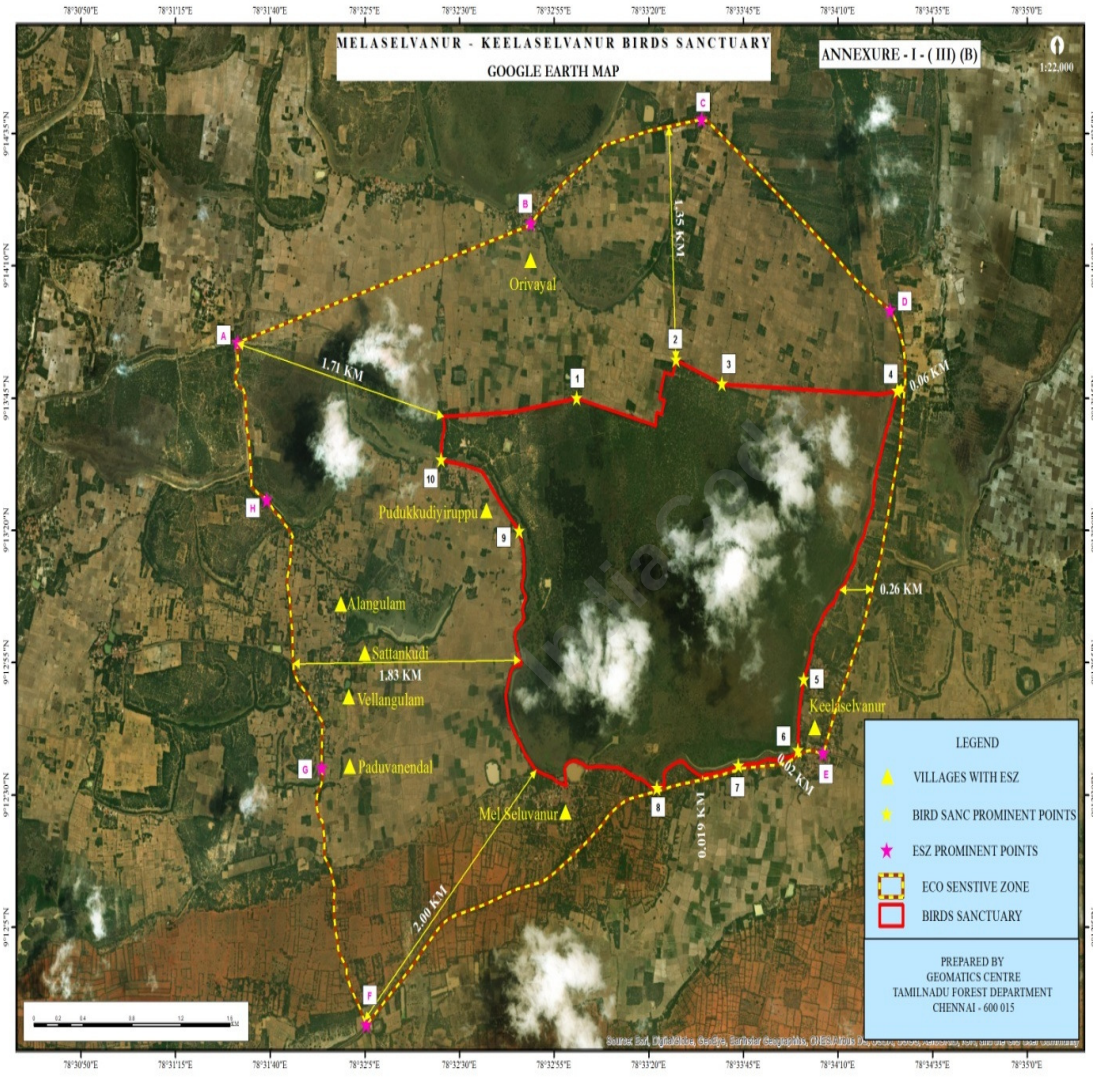
उपाबंध-IIक

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन और मेलासेलवेनूर-कीलासेलवेनूर पक्षी अभयारण्य का अवस्थान मानचित्र



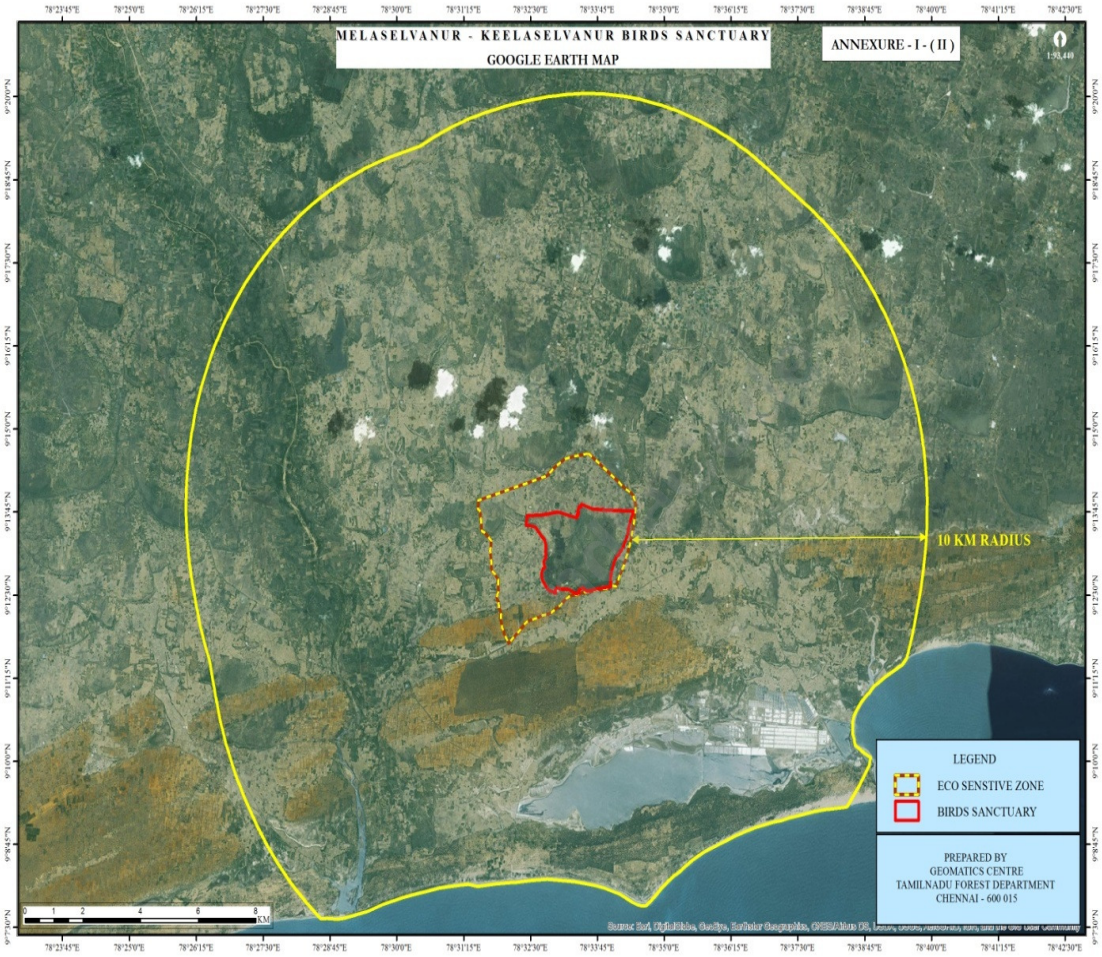
उपाबंध–II ख

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ मेलासेलवेनूर-कीलासेलवेनूर पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल मानचित्र



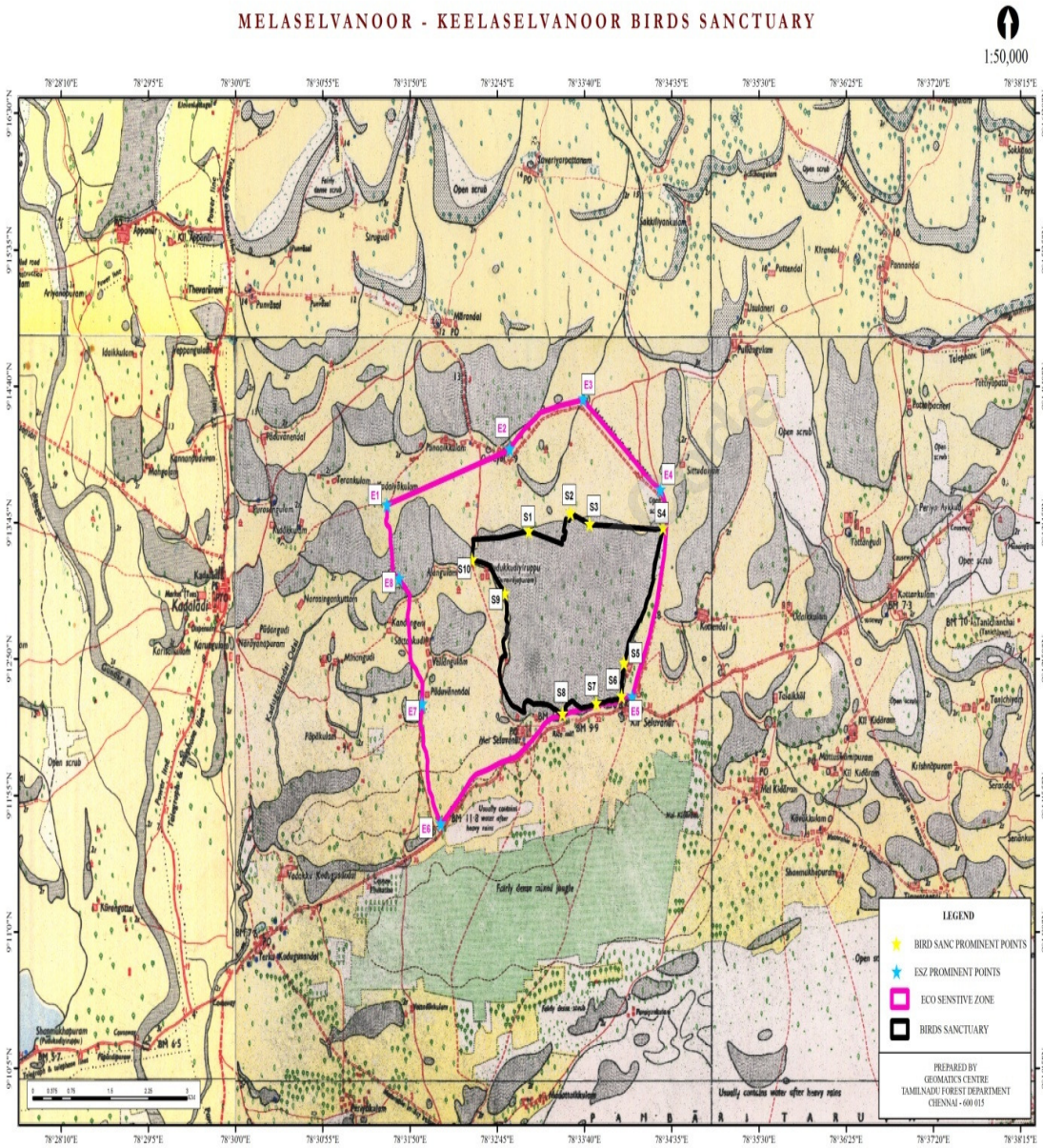
उपाबंध–IIग

10 किलोमीटर बफर को दर्शाने वाला मेलासेलवेनूर-कीलासेलवेनूर पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल मानचित्र



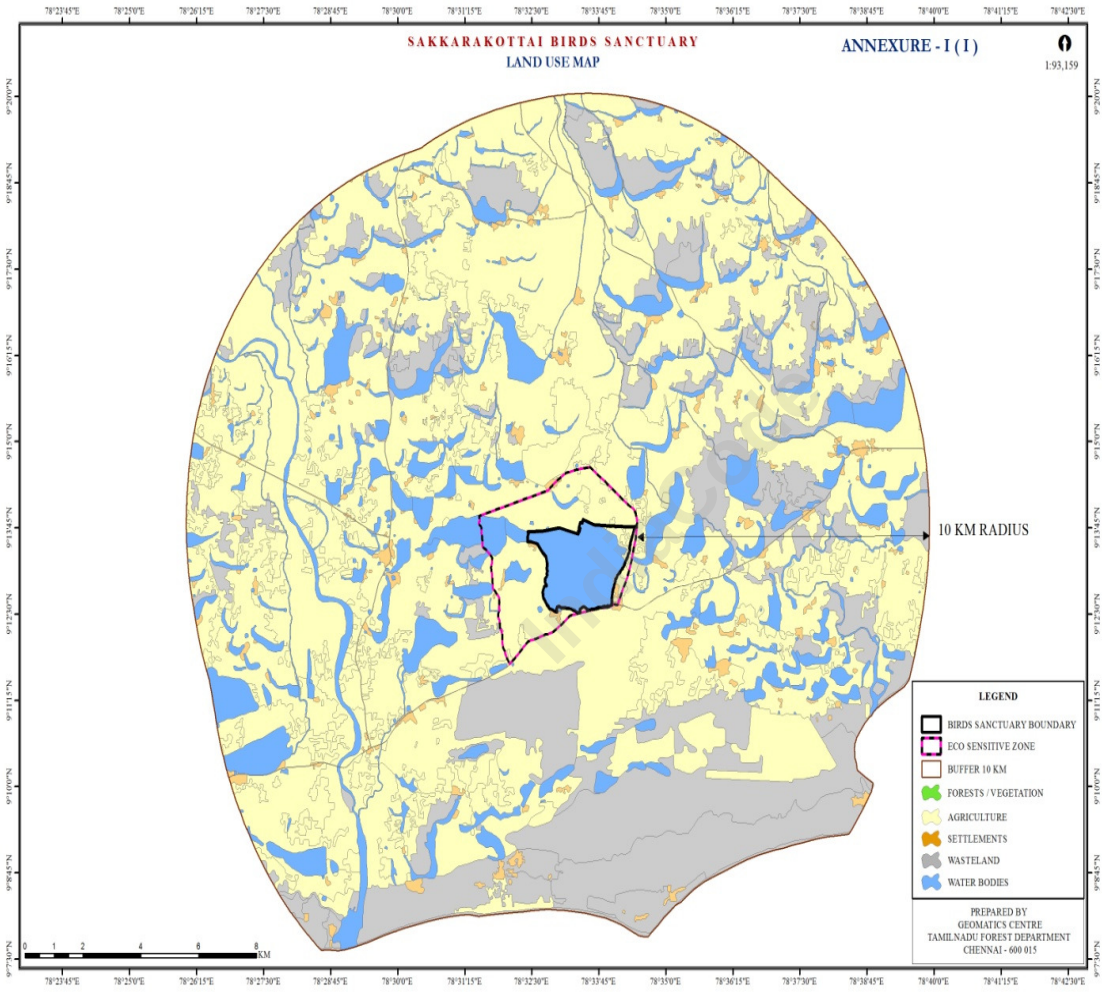
उपाबंध -III घ

भारतीय सर्वेक्षण (एस ओ आई) टोपोशीट पर मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ मेलासेलवेनूर-कीलासेलवेनूर पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी का मानचित्र



उपाबंध–II ङ

प्रमुख अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ 10 किलोमीटर बफर को दर्शाने वाला मेलासेलवेनूर-कीलासेलवेनूर पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भूमि उपयोग पैटर्न को दर्शाने वाला मानचित्र



उपाबंध-III

सारणी क: मेलासेलवेनूर-कीलासेलवेनूर पक्षी अभयारण्य के प्रमुख अवस्थानों के भू-निर्देशांक

क्र. सं.	प्रमुख बिंदुओं की पहचान	मुख्य बिंदुओं के अवस्थान/दिशा	अक्षांश (उ) डी एम एस प्रारुप	देशांतर (पू) डी एम एस प्रारुप
1	1	उ प	78°32'25.7712"	9°13'41.5308"
2	2	उ प	78°32'43.5588"	9°13'42.3912"
3	3 (एस1)	उ प मेलासेनवेनूर कनमोई की उत्तरी सीमा	78°33'1.0476"	9°13'44.9796"
4	4	उ	78°33'21.8808"	9°13'39.828"
5	5	उ	78°33'22.0752"	9°13'42.0672"
6	6	उ	78°33'22.4496"	9°13'42.3192"
7	7	उ	78°33'23.3748"	9°13'41.898"
8	8	उ	78°33'24.1884"	9°13'44.6592"
9	9	उ	78°33'22.8924"	9°13'44.9868"
10	10	उ	78°33'24.2064"	9°13'49.8144"
11	11	उ	78°33'26.388"	9°13'49.3716"
12	12 (एस 2)	उ मेलासेनवेनूर कनमोई की उत्तरी सीमा	78°33'27.2628"	9°13'52.2048"
13	13 (एस 3)	उ कीलासेलवेनूर कनमोई की उत्तरी सीमा	78°33'39.4092"	9°13'47.676"
14	14	उ पू	78°34'20.6976"	9°13'45.7356"
15	15 (एस4)	उ पू कीलासेलवेनूर टैंक के उत्तर पूर्वी सिरे कीलासेलवेनूर - ओरिवायल सड़क	78°34'25.6872"	9°13'46.344"
16	16	उ पू	78°34'23.0232"	9°13'39.4104"
17	17	उ पू	78°34'20.2656"	9°13'30.1764"
18	18	उ पू	78°34'19.4268"	9°13'25.302"
19	19	पू	78°34'17.0904"	9°13'19.4196"
20	20	पू	78°34'15.4632"	9°13'17.1084"
21	21	पू	78°34'14.5236"	9°13'14.9088"
22	22	पू	78°34'11.6256"	9°13'9.714"
23	23	पू	78°34'9.9588"	9°13'8.2776"
24	24	पू	78°34'9.0192"	9°13'6.618"
25	25	पू	78°34'7.7484"	9°13'5.6388"
26	26	पू	78°34'6.0492"	9°13'3.7704"
27	27	पू	78°34'3.756"	9°13'0.1128"
28	28	पू	78°34'2.8812"	9°12'56.5776"
29	29 (एस5)	पू कीलासेलवेनूर ग्राम के परिधि पर पूर्वी बांध	78°34'1.0308"	9°12'51.7644"
30	30	द पू	78°33'59.6232"	9°12'44.0928"

31	31	द पू	78°33'59.5224"	9°12'40.6404"
32	32 (एस6)	द पू कीलाकारई- सयालकुडी सड़क के पास कीलासेलवेनूर टैंक की दक्षिण पूर्वी टिप	78°33'59.5152"	9°12'38.4012"
33	33	द पू	78°33'56.2644"	9°12'37.0152"
34	34	द पू	78°33'54.0324"	9°12'36.6552"
35	35	द पू	78°33'51.5052"	9°12'36.7308"
36	36	द	78°33'48.7224"	9°12'35.9208"
37	37 (एस 7)	द दक्षिणी सीमा के साथ कीलाकराई - सयालकुडी सड़क	78°33'43.7004"	9°12'35.514"
38	38	द	78°33'34.3368"	9°12'33.5988"
39	39	द	78°33'30.4272"	9°12'35.244"
40	40	द	78°33'29.322"	9°12'36.144"
41	41	द	78°33'28.1448"	9°12'36.36"
42	42	द	78°33'24.5808"	9°12'34.722"
43	43	द	78°33'24.1848"	9°12'32.5764"
44	44	द	78°33'24.1236"	9°12'31.752"
45	45 (एस 8)	द दक्षिणी सीमा के साथ कीलाकराई - सयालकुडी सड़क	78°33'22.1904"	9°12'31.2264"
46	46	द	78°33'21.1752"	9°12'31.2696"
47	47	द	78°33'18.0108"	9°12'32.994"
48	48	द	78°33'16.8624"	9°12'33.1812"
49	49	द प	78°33'12.096"	9°12'35.0748"
50	50	द प	78°33'3.4596"	9°12'35.3448"
51	51	द प	78°32'58.8336"	9°12'36.126"
52	52	द प	78°32'58.3008"	9°12'31.8888"
53	53	द प	78°32'55.7988"	9°12'32.4468"
54	54	द प	78°32'50.3304"	9°12'34.7328"
55	55	द प	78°32'46.2588"	9°12'39.4488"
56	56	प	78°32'43.2564"	9°12'43.992"
57	57	प	78°32'42.2592"	9°12'48.8772"
58	58	प	78°32'44.0448"	9°12'54.0288"
59	59	प	78°32'45.0312"	9°12'54.5076"
60	60	प	78°32'46.248"	9°12'54.7236"
61	61	प	78°32'45.7944"	9°12'55.872"
62	62	प	78°32'44.9376"	9°12'58.3452"
63	63	प	78°32'44.7648"	9°13'0.7356"
64	64	प	78°32'47.0976"	9°13'3.5364"

IndiaCode

65	65	प	78°32'46.6836"	9°13'5.1456"
66	66	प	78°32'47.5548"	9°13'7.4784"
67	67	प	78°32'46.5396"	9°13'9.6996"
68	68	प	78°32'47.022"	9°13'11.388"
69	69 (एस9)	प बांध के साथ मेलासेलवेनूर टैंक की पश्चिमी सीमा	78°32'45.816"	9°13'19.83"
70	70	उ प	78°32'35.9016"	9°13'31.1412"
71	71	उ प	78°32'31.1064"	9°13'32.3904"
72	72 (एस 10)	उ प पुडुकुदिरुपपू ग्राम की परिधि के साथ पश्चिमीतम टिप	78°32'25.2276"	9°13'33.3228"
73	73	उ प	78°32'26.0304"	9°13'39.3672"

सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रमुख अवस्थानों के भू-निर्देशांक

क्र.सं.	प्रमुख बिंदुओं की पहचान	मुख्य बिंदुओं के अवस्थान/दिशा	अक्षांश	देशांतर
1	1 (ई 1)	उ प मीननगुडी और अलंगुलम कनमोई के सामान्य बांध की उत्तरी टिप	78°31'31.4328"	9°13'55.5384"
2	2	उ प	78°31'50.8728"	9°14'1.1184"
3	3	उ	78°32'26.3904"	9°14'11.3136"
4	4 (ई 2)	उ ओरियावल ग्राम के पास कीलासेलवेनू-ओरियावल दृष्टिकोण सड़क	78°32'48.9156"	9°14'18.1032"
5	5	उ	78°32'58.2144"	9°14'26.178"
6	6	उ	78°33'8.298"	9°14'32.7516"
7	7	उ	78°33'20.34"	9°14'35.5848"
8	8 (ई 3)	उ कीलासेलवेनू-ओरियावल ग्राम दृष्टिकोण सड़क पर सवरियरपट्टिनम ग्राम का द्विविभाजित बिंदु	78°33'34.02"	9°14'37.7592"
9	9	उ पू	78°34'3.2556"	9°14'16.6056"
10	10	उ पू	78°34'13.5228"	9°14'8.2248"
11	11 (ई 4)	उ पू कीलासेलवेनूर – ओरिवायल सड़क के साथ	78°34'23.8908"	9°14'1.6116"

IndiaCode

12	12	उ पू	78°34'27.2424"	9°13'54.9912"
13	13	पू	78°34'27.3756"	9°13'44.4828"
14	14	पू	78°34'26.2668"	9°13'35.184"
15	15	पू	78°34'21.5544"	9°13'15.924"
16	16	पू	78°34'17.1012"	9°13'2.9532"
17	17	द पू	78°34'9.9012"	9°12'47.268"
18	18 (ई 5)	द पू कीलाकराई –सयालकुडी सड़क पर कीलासेलवेनूर-ओरेयावल दृष्टिकोण सड़क का अवरोधन बिंदु	78°34'6.1788"	9°12'37.9116"
19	19	द पू	78°34'2.1648"	9°12'38.412"
20	20	द पू	78°33'56.1024"	9°12'36.054"
21	21	द	78°33'44.91"	9°12'35.0496"
22	22	द	78°33'26.7732"	9°12'31.7412"
23	23	द	78°33'14.9184"	9°12'29.286"
24	24	द	78°33'9.8856"	9°12'26.5392"
25	25	द	78°32'52.746"	9°12'14.0004"
26	26	द	78°32'45.4128"	9°12'12.24"
27	27	द प	78°32'27.2724"	9°12'6.6852"
28	28 (ई 6)	द प पूर्व तटीय सड़क पर सथानगुडी ग्राम दृष्टिकोण सड़क का जंक्शन	78°32'5.4744"	9°11'46.5612"
29	29	द प	78°32'0.3264"	9°11'55.6764"
30	30	प	78°31'58.1772"	9°12'0.2772"
31	31	प	78°31'56.8812"	9°12'7.1064"
32	32	प	78°31'57.018"	9°12'12.4128"
33	33	प	78°31'54.2496"	9°12'18.5364"
34	34	प	78°31'53.778"	9°12'24.9264"
35	35	प	78°31'52.2228"	9°12'27.8676"
36	36 (ई 7)	प सट्टांगुडी ग्राम दृष्टिकोण सड़क के साथ	78°31'53.7024"	9°12'35.1504"
37	37	प	78°31'53.7996"	9°12'43.8444"
38	38	प	78°31'50.1744"	9°12'48.6108"
39	39	प	78°31'46.2216"	9°12'53.4744"
40	40	प	78°31'44.4216"	9°13'10.236"
41	41	प	78°31'45.9084"	9°13'19.002"

IndiaCode

42	42	उ प	78°31'41.9016"	9°13'22.944"
43	43 (ई 8)	उ प अलंगुलम कनमोई के पश्चिमी बांध पर बिंदु	78°31'39.1296"	9°13'25.8204"
44	44	उ प	78°31'35.0508"	9°13'28.3836"
45	45	उ प	78°31'34.1508"	9°13'38.2404"
46	46	उ प	78°31'30.9396"	9°13'47.8848"

उपाबंध -IV

भू-निर्देशांकों के साथ मेलासेलवेनूर-कीलासेलवेनूर पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

क्र.सं.	ग्राम का नाम	तहसील/ तालुक	जिला	अक्षांश (डी एम एस प्रारुप)	अक्षांश (डी एम एस प्रारुप)
1	मेलासेलवेनूर	कदालदी	रामानाथापुरम	9°12'29.19"	78°32'58.47"
2	पुथुकुदीयिरुप्पु	कदालदी	रामानाथापुरम	9°13'29.53"	78°32'32.32"
3	अलंगुलम	कदालदी	रामानाथापुरम	9°13'3.55"	78°31'58.78"
4	कीलासेलवेनूर	कदालदी	रामानाथापुरम	9°12'39.00"	78°34'2.82"
5	ओरिवायल	कदालदी	रामानाथापुरम	9°14'20.51"	78°32'48.62"
6	सथानगुडी	कदालदी	रामानाथापुरम	9°13'3.55"	78°31'58.78"

IndiaCode

उपाबंध -V

की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का प्रपत्र:

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत: (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का उल्लेख करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक उपाबंध में उपाबद्ध करें) ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना भी है।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सार (पारिस्थितिकी संवेदी जोन वार) । ब्यौरे उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाले क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सार। (ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं)।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाले क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सारांश । (ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं)।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th October, 2019

S.O. 3650(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 3544(E) dated the 20th July 2018, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the 20th July 2018;

AND WHEREAS, no objections and suggestions were received from persons and stakeholders in response to the draft notification;

AND WHEREAS, Melaselvanoor - Keelaselvanoor Bird Sanctuary, otherwise known as "Melaselvanoor - Keelaselvanoor Kanmai" is located near Sayalkudi in Kadaladi taluk of Ramanathapuram District in Tamil Nadu. It is located between 9°13'47" and 9°12'27" N latitude and 78°32'29" and 78°34'28" E longtitude. The Sanctuary lies in S.F. No. 166 of 78 Melaselvanoor with 321.48.5 hectares area and S.F. No 128 of 79 Keelaselvanoor with 271.59.5 hectares area totally extending over an area of 593.08 hectares or 5.93 square kilometres. The Government *vide* its government order G.O (Ms.) No. 206 Environment and Forests (FR.5) dated 1.12.2010 has made the final notification of Bird Sanctuary under Section 26 A (1) of the Wildlife (Protection) Act, 1972;

AND WHEREAS, varieties of migratory bird species arrives from different countries for feeding and nesting purpose. About 16000 birds belonging to 45 species have been listed. The important bird species found in the Sanctuary includes, white ibis, black ibis, open-billed stork, egrets, mynas, teals, ducks, darters, herons, pelicans**,** etc. The Melaselvanoor & Keelaselvanoor Bird Sanctuary is biggest inhabitant for varieties of floral and faunal diversity and also has high richness of near threatened species such as pelican, painted stork, eurasian spoon bill, white ibis, darter, flamingo and water birds *viz,* common coot, pin tail, garganey, egrets, cormorants, black winged stilt, kingfisher, common myna, brahminy kite, spotted owlet and also documented more than 78 common birds;

AND WHEREAS, the Sanctuary offers ideal habitat for winter migratory birds with considerable diversity in nesting and feeding ground. It is one of the preferred nesting sites for heronry species and colonial birds migrating to South India. The feathered visitors flock the Sanctuary from October to February. The wetland is irregular in depth and retains water for 3 to 5 months, if rain is normal. Envisaging successful management measures will attract more breeding species and wintering species to enhance the diversity which in turn will attract more tourists, birdwatchers and students. The best time to visit the Sanctuary for bird watching is November-January when bird population and species diversity is at the highest;

AND WHEREAS, the Melaselvanoor - Keelaselvanoor Bird Sanctuary is basically an irrigation tank that is used for storing water for agriculture recharged by the northeast monsoons from October till January and the tank remains completely dry from March to August. As the Sanctuary is basically an irrigation tank, there is no natural forest within the Sanctuary. Babul (*Acacia nilotica)* plantations were raised by the Forest Department. The Sanctuary being a irrigation tank has very less faunal species (except Avifauna) which include Indian grey mongoose *(Herpestes edwardsii)*, Indian palm squirrel *(Funambulus palmarum)*, jackal *(Canis aureus)*, Indian flying fox (*Pteropus giganteus,* black-naped hare *(Lepus nigricollis)* and bandicoot rat *(Bandicota bengalensis),* etc;

AND WHEREAS, the Sanctuary has variety of flora and fauna including birds, insects, butterflies, reptiles and amphibians. Examples of flora recorded in the Sanctuary are Panai *(Borassus flabellifer* L.), Erukku *(Calotropis gigantea* L. R.Br.), Avaram, Avaarai *(Senna auriculata* (L.) Roxb.), Puliya maram *(Tamarindus indica* L.), Nai kadugu, Nai vaelai *(Cleome viscosa* L.), etc; some example of birds are little grebe *(Tachybaptusruficollis),* spot-billed pelican *(Pelecanusphilippensis),* little cormorant *(Phalacrocoraxniger),* great cormorant

(Phalacrocoraxcarbo), darter *(Anhinga melanogaster),* etc; examples of reptiles are house gecko *(Hemidactylus frenatus),* spotted Indian gecko *(Hemidactylus brookii),* garden lizard *(Calotes versicolor),* common Indian skink *(Eutrophis carinata),* checkered keelback *(Xenochrophis piscator),* Indian cobra *(Naja naja),* etc;

AND WHEREAS, rare and threatened species has been recorded in the Sanctuary. Examples of rare species are great cormorant *(Phalacrocorax carbo),* purple heron *(Ardea cinerea),* yellow bittern *(Lxobrychus sinensis),* chestnut bittrem *(Lxobrychus cinnamomeus),* black bittern *(Dupetor flavicollis),* comb duck *(Sarkidiornis melanotos),* northern shoveller *(Anas clypeata),* common teal *(Abas crecca),* common redshank *(Tringa tetanus),* common greenshank *(Tringa nebularia)* and pied crested cuckoo *(Clamator jacobinus).* Examples of threatened species are spot-billed pelican (*Pelecanus philippensis)* and painted stork *(Mycteria leucocephala),* etc;

AND WHEREAS, Melaselvanoor, Keelaselvanoor and Orivayal, the three villages surrounding the notified area have population of 2817 men and 3038 women respectively with the total population of 5855 individuals. Most of the people depend upon rain fed agriculture while the rest earn their livelihood as daily wage labourers. The villagers belong to Pallan, Agamudiyar, Yathaver, Asari, Vannan and Muslim communities. The ethnic identity is thus varied; tradition and customs are also varying accordingly. There is no major rift between communities and they mostly live in harmony with existing socio-political scenario;

AND WHEREAS, agriculture and allied activities such as live stock rearing, poultry are the major sources of economy for the people living in the proposed Eco-Sensitive zone. Brick and charcoal making also contribute to their livelihood. Though the primary source of income in villages around the Sanctuary is agriculture, due to lack of rain often the crops fail. As a result cattle rearing, firewood cutting and selling, and charcoal manufacturing become alternative sources of income. Owing to frequent crop failure and absence of other sources of livelihood the income levels recorded in the villages is quite low. In Melaselvanur village the average annual income is Rs. 36000 while in other villages it ranged between Rs. 25000-30000. As a consequence majority of the villagers are below poverty line;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of Melaselvanoor - Keelaselvanoor Bird Sanctuary which are specified in paragraph 1 as Eco-Sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-Sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 0.019 kilometre to 2.00 kilometre around the boundary of Melaselvanoor - Keelaselvanoor Bird Sanctuary, in Ramanathapuram district in the State of Tamil Nadu as the Eco-Sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-Sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

1. **Extent and boundaries of Eco-Sensitive Zone. –** (1) The Eco-Sensitive Zone shall be to an extent of 0.019 kilometre to 2.00 kilometre around the boundary of Melaselvanoor - Keelaselvanoor Bird Sanctuary and the area of the Eco-Sensitive Zone is 11.5108 square kilometres.

 (2) The boundary description of Melaselvanoor - Keelaselvanoor Bird Sanctuary and its Eco-Sensitive Zone is appended in **Annexure-I.**

 (3) The maps of the Melaselvanoor - Keelaselvanoor Bird Sanctuary demarcating Eco-Sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes are appended as **Annexure-IIA, Annexure-IIB, Annexure-IIC**, **Annexure-IID** and **Annexure-IIE.**

 (4) List of geo-coordinates of the boundary of Melaselvanoor - Keelaselvanoor Bird Sanctuary and Eco-Sensitive Zone are given in Table **A** and Table **B** of **Annexure-III.**

 (5) The list of villages falling in the Eco-Sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as **Annexure-IV.**

2. Zonal Master Plan for Eco-Sensitive Zone.- (1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-Sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority of State.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-Sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-

(i) Environment;

(ii) Forest and Wildlife;

(iii) Agriculture;

(iv) Revenue;

(v) Urban Development;

(vi) Tourism;

(vii) Rural Development;

(viii) Irrigation and Flood Control;

(ix) Municipal;

(x) Panchayati Raj; and

(xi) Public Works Department.

IndiaCode

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-Sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by the State Government.- The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Land use.– (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-Sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a) above, within the Eco-Sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or State Government as applicable and *vide* provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as:-

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) small scale industries not causing pollution;

(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(v) promoted activities given under paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-Sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies.-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner so as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) Tourism or Eco-tourism.- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-Sensitive Zone.

(b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-Sensitive Zone.

(e) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-Sensitive Zone whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-Sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended

from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;

(iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-Sensitive Zone area.

(4) Natural heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-Sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-Sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution. - Prevention and control of noise pollution in the Eco-Sensitive Zone shall be complied in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.

(7) Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco-Sensitive Zone shall be compiled in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) Discharge of effluents.- Discharge of treated effluent in Eco-Sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

(9) Solid wastes.- Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) the solid waste disposal and management in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-Sensitive Zone;

(b) safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(10) Bio-Medical Waste.– Bio Medical Waste Management shall be as under:-

(a) the Bio-Medical Waste disposal in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management, Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R 343 (E), dated the 28th March, 2016.

(b) safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-Sensitive Zone.

(11) Plastic waste management.- The plastic waste management in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time**.**

(12) Construction and demolition waste management.- The construction and demolition waste management in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of

the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) E-waste.- The e - waste management in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic.– The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular pollution.- Prevention and control of vehicular pollution shall be incompliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.

(16) Industrial units.– (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-Sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-Sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of hill slopes.- The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) construction shall not be permitted on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion.

4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-Sensitive Zone.- All activities in the Eco-Sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made thereunder including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
	A. Prohibited Activities	
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for personal consumption; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-Sensitive Zone shall not be permitted: Provided that non-polluting industries shall be allowed within Eco-Sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless otherwise specified in this notification and in addition the non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydro-electric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
6.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-Sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
	B. Regulated Activities	
8.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-Sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-Sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
9.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or upto extent of the Eco-Sensitive Zone, whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents. Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
10.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-Sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
11.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
12.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated (except otherwise provided) as per the applicable laws except for meeting local needs.
13.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest produce.	Regulated as per the applicable laws.
14.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws (underground cabling may be promoted).
15.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulations and guidelines.
16.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
17.	Undertaking other activities related to tourism like flying over the Eco-Sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
18.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
19.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
20.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
21.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated as per the applicable laws.
22.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated as per the applicable laws.
23.	Open Well, Bore Well, etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
24.	Solid waste management.	Regulated as per the applicable laws.
25.	Introduction of exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
26.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Use of polythene bags.	Regulated as per the applicable laws.
28.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
29.	Use of Fire Crackers.	Regulated as per the applicable laws.
30.	Charcoal Burning.	Regulated as per the applicable laws.
C. Promoted Activities		
31.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.

IndiaCode

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
32.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
33.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
34.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
35.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light, etc. shall be actively promoted.
36.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
37.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
38.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
39.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
40.	Restoration of degraded land/ forests/ habitat.	Shall be actively promoted.
41.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee for Monitoring the Eco-Sensitive Zone Notification.- For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:-

S N	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
(i)	The District Collector, Ramanathapuram	Chairman, ex officio;
(ii)	A representative of Non-governmental Organisation working in the field of wildlife conservation to be nominated by State Government	Member;
(iii)	An expert in Biodiversity nominated by the State Government	Member;
(iv)	An expert in Ecology and Environment to be nominated by the State Government	Member;
(v)	A representative from State Public Works Department	Member;
(vi)	A representative from State Pollution Control Board	Member;
(vii)	Wildlife Warden, Gulf of Mannar Marine National Park, Ramanathapuram	Member-Secretary.

6. Terms of reference. – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee shall be constituted by the State Government.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-Sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-Sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the

Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma appended at **Annexure V**.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/16/2018-ESZ]

(Dr. SATISH C. GARKOTI), Scientist 'G'

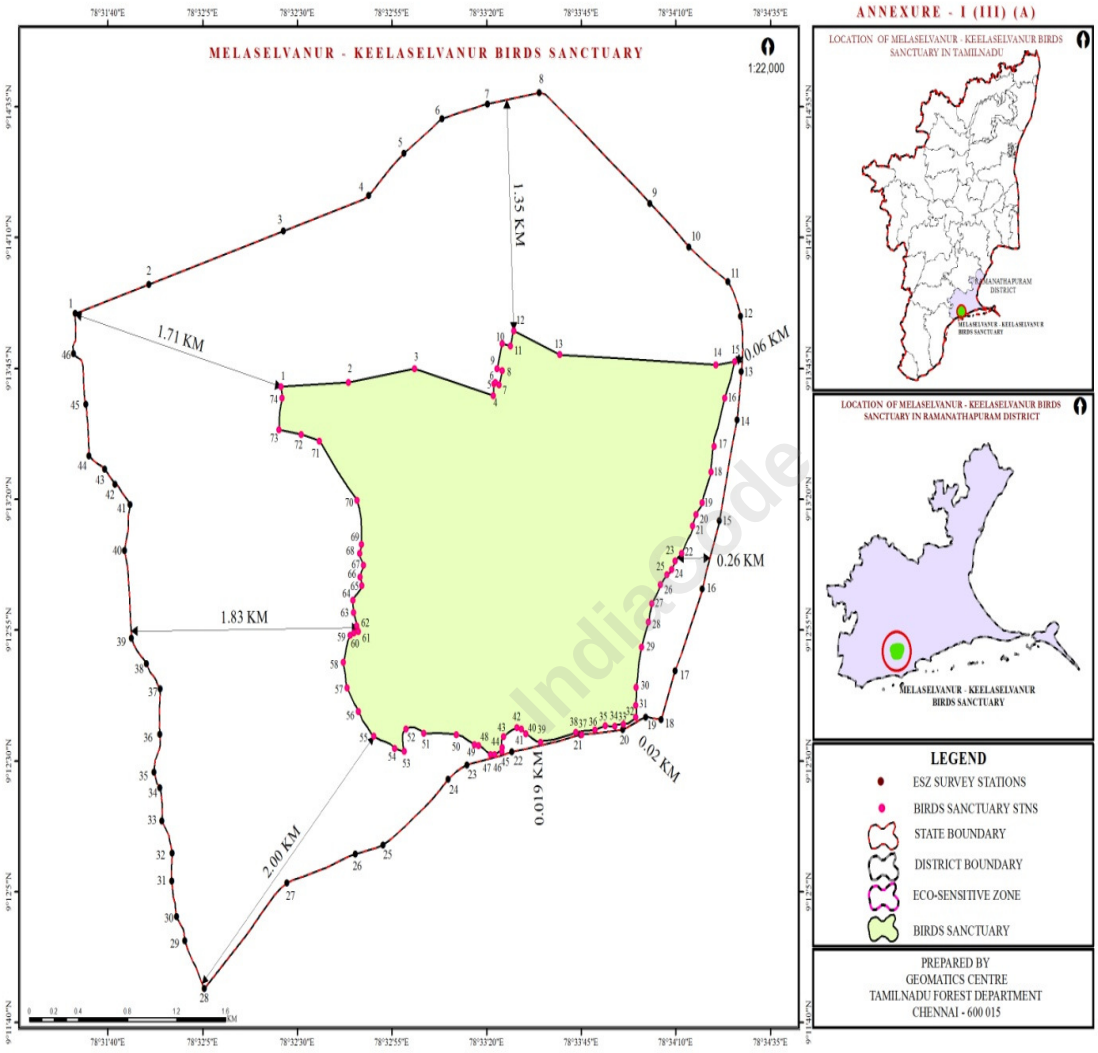
ANNEXURE- I

BOUNDARY DESCRIPTION OF MELASELVANOOR - KEELASELVANOOR BIRD SANCTUARY AND ITS ECO-SENSITIVE ZONE IN THE STATE TAMIL NADU

North	The boundary starts at a distance of 1.05 Km. north of Mela-Selvanoor Kanmoi at a point on the road of Keelaselvanoor - Orivayal village road. Thence the boundary proceeds north eastwards along the Orivayal – Keelaselvanoor road until it touches a point where the road from Keelaselvanoor to Orivayal bifurcates for Savariarpattinam village. Thence the boundary travels along south eastern direction along Orivayal – Keelaselvanoor road.
North East	Along the Orivayal – Keelaselvanoor road the boundary touches the bifurcation point on the Orivayal – Keelaselvanoor road at approach road to Sittadayan Village
East	Thence the boundary travels southward direction along the Orivayal – Keelaselvanoor road.
South East	Thence the boundary touches at the interception point of Keelaselvanoor – Orivayal approach road on the Keelakarai – Sayalgudi highway. Then the boundary travels westwards along the Keelakarai – Sayalgudi highway.
South	The boundary travels south of the Keelaselvanoor Kanmoi and Melaselvanoor Kanmoi along the Keelakarai – Sayalgudi highway (ECR road).
South West	Thence the boundary touches the point of interception of. Sattangudi village approach road on the Keelakarai – Sayalgudi highway (ECR road). Thence the boundary travels northwards along the Sattangudi village approach road
West	Thence the boundary travels northwards along the Sattangudi - Vedandai village approach road (mud road – foot path) and on the common bund of Alangulam Kanmoi and Meenangudi Kanmoi.
North West	Thence the boundary travels along the western bund of Alangulam Kanmoi till it touches a point on the northern tip of common bund of Alangulam and Meenangudi Kanmoi. Further the boundary proceeds in north eastern direction to touch the start point

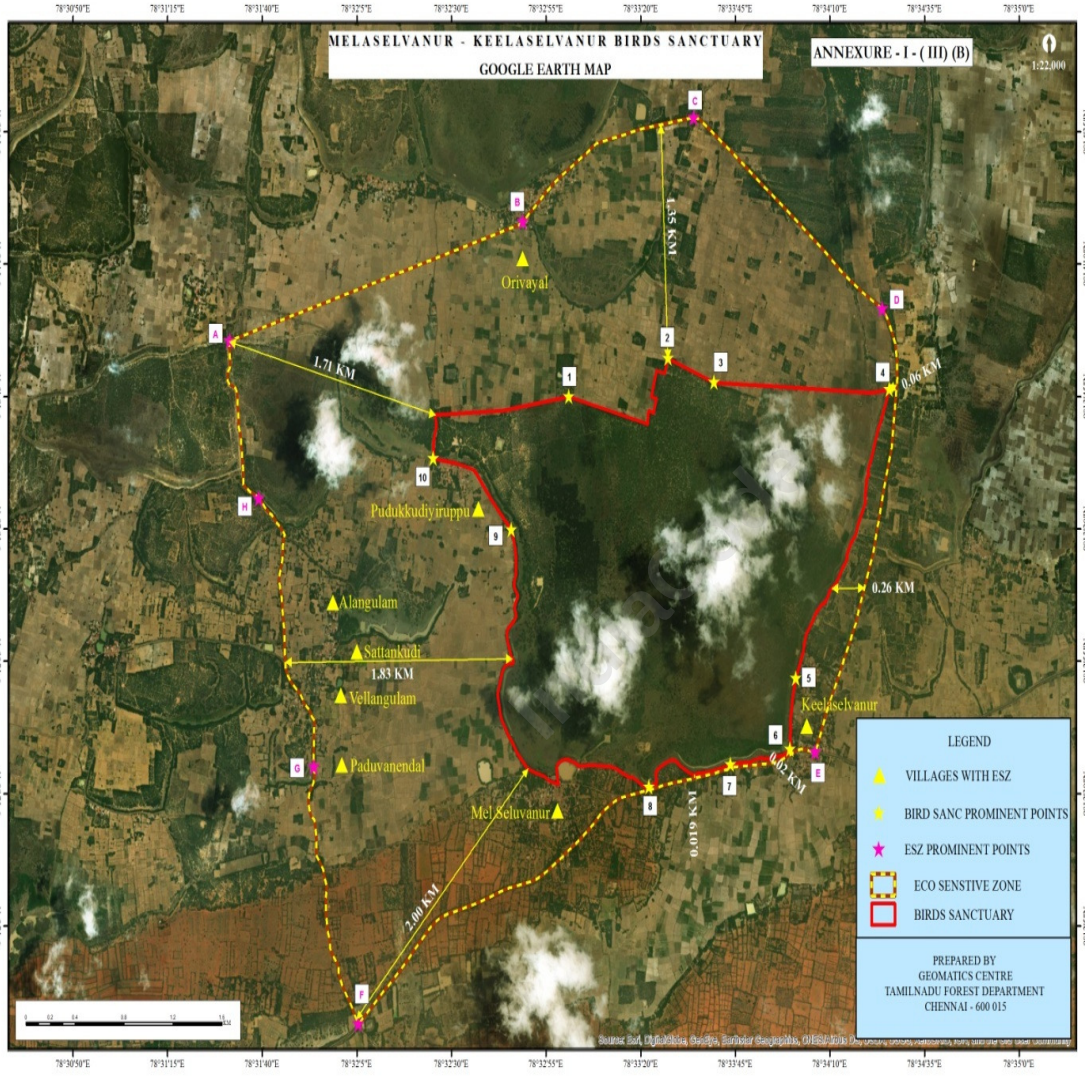
ANNEXURE- IIA

LOCATION MAP MELASELVANOOR - KEELASELVANOOR BIRD SANCTUARY AND ITS ECO-SENSITIVE ZONE ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



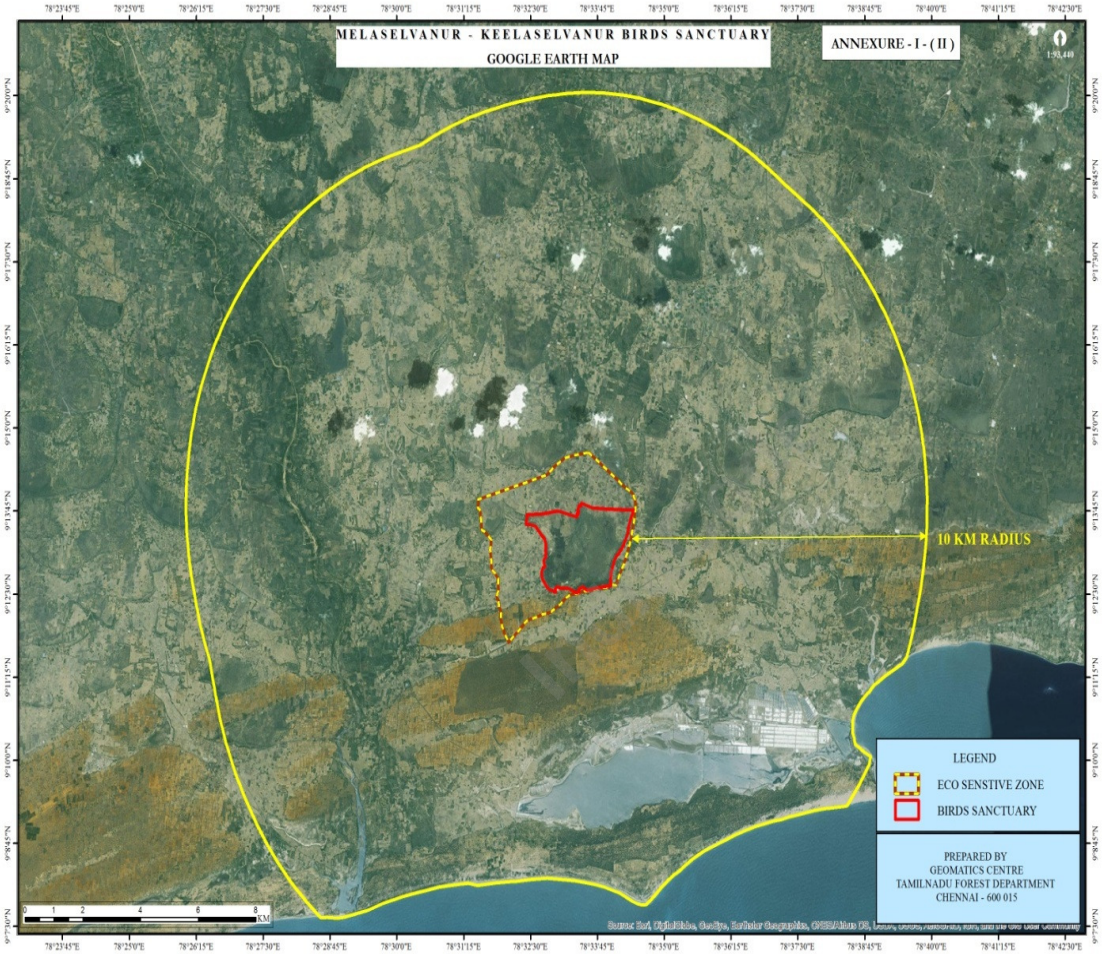
ANNEXURE- IIB

GOOGLE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF MELASELVANOOR - KEELASELVANOOR BIRD SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



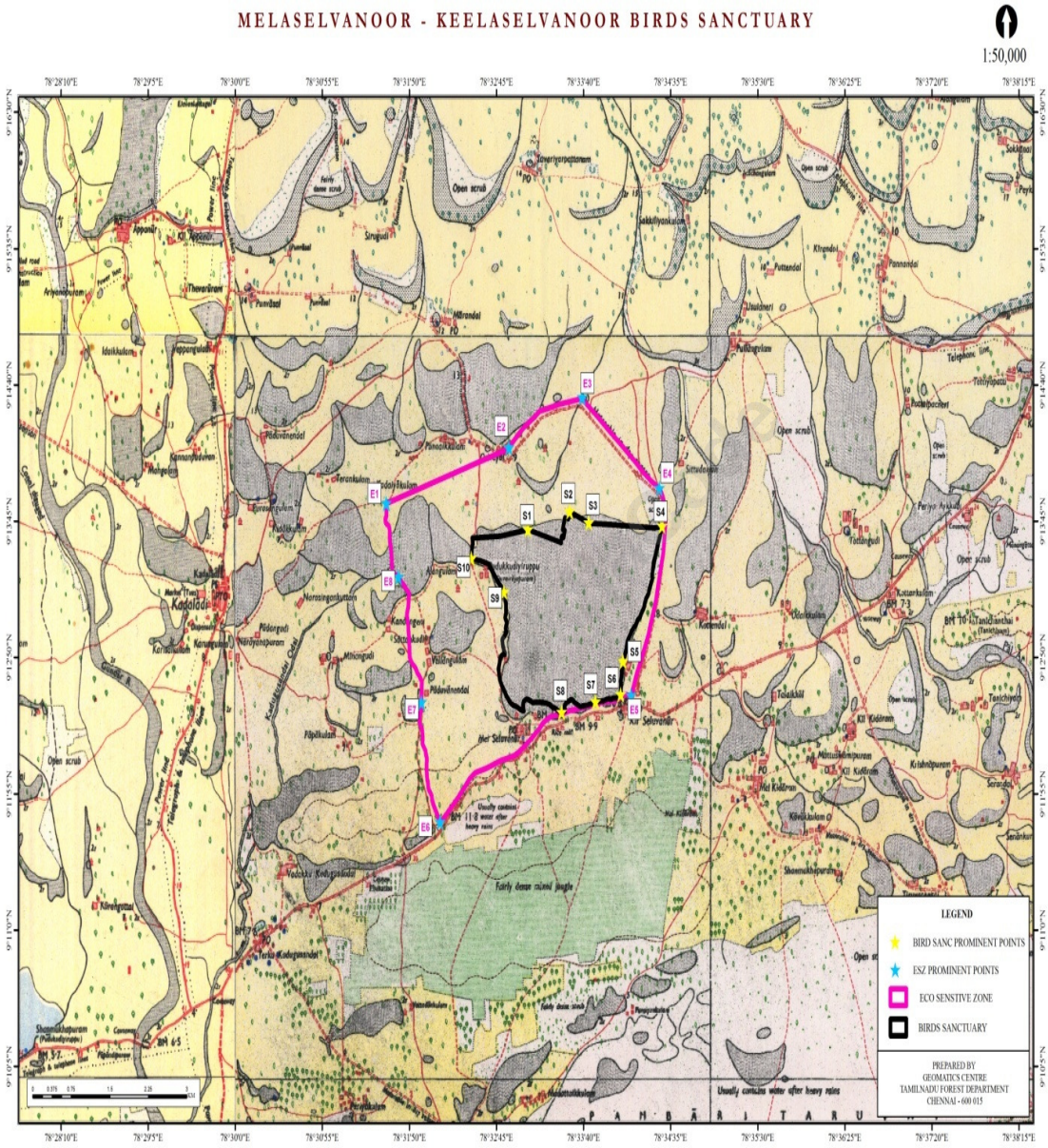
ANNEXURE- IIC

GOOGLE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF MELASELVANOOR - KEELASELVANOOR BIRD SANCTUARY SHOWING 10 KM BUFFER



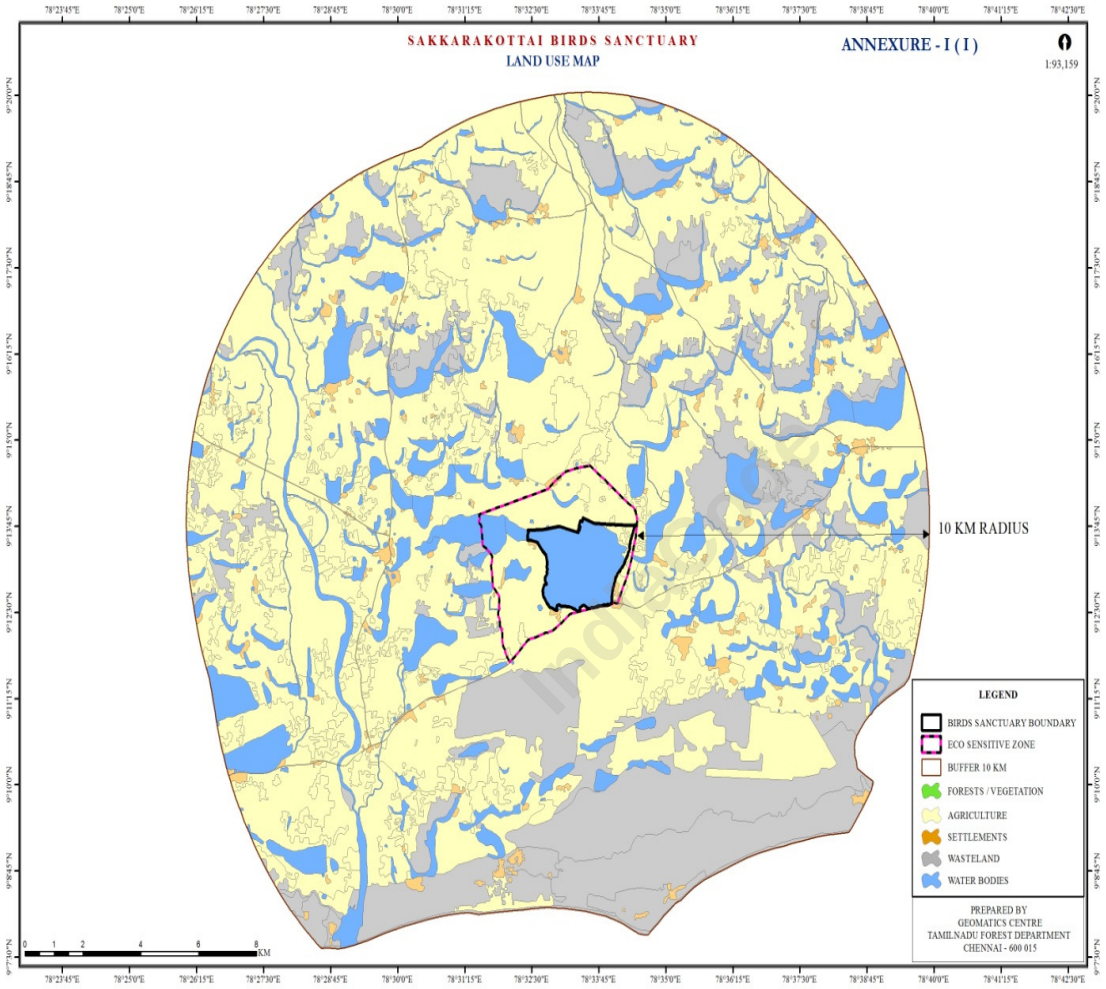
ANNEXURE- IID

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF MELASELVANOOR - KEELASELVANOOR BIRD SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS ON SURVEY OF INDIA (SOI) TOPOSHEET



ANNEXURE- IIE

MAP SHOWING LANDUSE PATTERN OF ECO-SENSITIVE ZONE OF MELASELVANOOR - KEELASELVANOOR BIRD SANCTUARY SHOWING AT 10 KM BUFFER ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



ANNEXURE-III

TABLE A: GEO- COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF MELASELVANOOR - KEELASELVANOOR BIRD SANCTUARY

S. No.	Identification of prominent points	Location / Direction of Prominent Point	Latitude (N) DMS format	Longitude (E) DMS format
1	1	NW	78°32'25.7712"	9°13'41.5308"
2	2	NW	78°32'43.5588"	9°13'42.3912"
3	3 (S1)	NW Northern boundary of Melaselvanoor Kanmoi	78°33'1.0476"	9°13'44.9796"
4	4	N	78°33'21.8808"	9°13'39.828"
5	5	N	78°33'22.0752"	9°13'42.0672"
6	6	N	78°33'22.4496"	9°13'42.3192"

7	7	N	78°33'23.3748"	9°13'41.898"
8	8	N	78°33'24.1884"	9°13'44.6592"
9	9	N	78°33'22.8924"	9°13'44.9868"
10	10	N	78°33'24.2064"	9°13'49.8144"
11	11	N	78°33'26.388"	9°13'49.3716"
12	12 (S2)	N Northern boundary of Melaselvanoor Kanmoi	78°33'27.2628"	9°13'52.2048"
13	13 (S3)	N Northern boundary of Keelaselvanoor Kanmoi	78°33'39.4092"	9°13'47.676"
14	14	NE	78°34'20.6976"	9°13'45.7356"
15	15 (S4)	NE North Eastern tip of Keelaselvanoor Tank along Keelaselvanoor - Orivayal Road	78°34'25.6872"	9°13'46.344"
16	16	NE	78°34'23.0232"	9°13'39.4104"
17	17	NE	78°34'20.2656"	9°13'30.1764"
18	18	NE	78°34'19.4268"	9°13'25.302"
19	19	E	78°34'17.0904"	9°13'19.4196"
20	20	E	78°34'15.4632"	9°13'17.1084"
21	21	E	78°34'14.5236"	9°13'14.9088"
22	22	E	78°34'11.6256"	9°13'9.714"
23	23	E	78°34'9.9588"	9°13'8.2776"
24	24	E	78°34'9.0192"	9°13'6.618"
25	25	E	78°34'7.7484"	9°13'5.6388"
26	26	E	78°34'6.0492"	9°13'3.7704"
27	27	E	78°34'3.756"	9°13'0.1128"
28	28	E	78°34'2.8812"	9°12'56.5776"
29	29 (S5)	E Eastern bund on periphery of Keelaselvanoor village	78°34'1.0308"	9°12'51.7644"
30	30	SE	78°33'59.6232"	9°12'44.0928"
31	31	SE	78°33'59.5224"	9°12'40.6404"
32	32 (S6)	SE South Eastern tip of Keelaselvanoor Tank near Keelakarai - Sayalkudi Road	78°33'59.5152"	9°12'38.4012"
33	33	SE	78°33'56.2644"	9°12'37.0152"
34	34	SE	78°33'54.0324"	9°12'36.6552"
35	35	SE	78°33'51.5052"	9°12'36.7308"
36	36	S	78°33'48.7224"	9°12'35.9208"
37	37 (S7)	S Southern Boundary along Keelakarai - Sayalkudi Road	78°33'43.7004"	9°12'35.514"
38	38	S	78°33'34.3368"	9°12'33.5988"

IndiaCode

39	39	S	78°33'30.4272"	9°12'35.244"
40	40	S	78°33'29.322"	9°12'36.144"
41	41	S	78°33'28.1448"	9°12'36.36"
42	42	S	78°33'24.5808"	9°12'34.722"
43	43	S	78°33'24.1848"	9°12'32.5764"
44	44	S	78°33'24.1236"	9°12'31.752"
45	45 (S8)	S Southern Boundary along Keelakarai - Sayalkudi Road	78°33'22.1904"	9°12'31.2264"
46	46	S	78°33'21.1752"	9°12'31.2696"
47	47	S	78°33'18.0108"	9°12'32.994"
48	48	S	78°33'16.8624"	9°12'33.1812"
49	49	SW	78°33'12.096"	9°12'35.0748"
50	50	SW	78°33'3.4596"	9°12'35.3448"
51	51	SW	78°32'58.8336"	9°12'36.126"
52	52	SW	78°32'58.3008"	9°12'31.8888"
53	53	SW	78°32'55.7988"	9°12'32.4468"
54	54	SW	78°32'50.3304"	9°12'34.7328"
55	55	SW	78°32'46.2588"	9°12'39.4488"
56	56	W	78°32'43.2564"	9°12'43.992"
57	57	W	78°32'42.2592"	9°12'48.8772"
58	58	W	78°32'44.0448"	9°12'54.0288"
59	59	W	78°32'45.0312"	9°12'54.5076"
60	60	W	78°32'46.248"	9°12'54.7236"
61	61	W	78°32'45.7944"	9°12'55.872"
62	62	W	78°32'44.9376"	9°12'58.3452"
63	63	W	78°32'44.7648"	9°13'0.7356"
64	64	W	78°32'47.0976"	9°13'3.5364"
65	65	W	78°32'46.6836"	9°13'5.1456"
66	66	W	78°32'47.5548"	9°13'7.4784"
67	67	W	78°32'46.5396"	9°13'9.6996"
68	68	W	78°32'47.022"	9°13'11.388"
69	69 (S9)	W Western boundary of Melaselvanoor Tank along the bund	78°32'45.816"	9°13'19.83"
70	70	NW	78°32'35.9016"	9°13'31.1412"
71	71	NW	78°32'31.1064"	9°13'32.3904"
72	72 (S10)	NW Westernmost tip along the periphery of Pudukudirruppu village	78°32'25.2276"	9°13'33.3228"
73	73	NW	78°32'26.0304"	9°13'39.3672"

IndiaCode

TABLE B: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF ECO-SENSITIVE ZONE

S. No.	Identification of prominent points	Location / Direction of Prominent Point	Longitude	Latitude
1	1 (E1)	NW Northern tip of the common bund of Meenangudi and Alangulam Kanmoi	78°31'31.4328"	9°13'55.5384"
2	2	NW	78°31'50.8728"	9°14'1.1184"
3	3	N	78°32'26.3904"	9°14'11.3136"
4	4 (E2)	N Near Orivayal Village on Keelaselvanoo - Orivayal appraoch road	78°32'48.9156"	9°14'18.1032"
5	5	N	78°32'58.2144"	9°14'26.178"
6	6	N	78°33'8.298"	9°14'32.7516"
7	7	N	78°33'20.34"	9°14'35.5848"
8	8 (E3)	N Bifurcation point to Savariarpattinam Village on Keelaselvanoo - Orivayal Village approach road	78°33'34.02"	9°14'37.7592"
9	9	NE	78°34'3.2556"	9°14'16.6056"
10	10	NE	78°34'13.5228"	9°14'8.2248"
11	11 (E4)	NE Along Keelaselvanoor - Orivayal Road	78°34'23.8908"	9°14'1.6116"
12	12	NE	78°34'27.2424"	9°13'54.9912"
13	13	E	78°34'27.3756"	9°13'44.4828"
14	14	E	78°34'26.2668"	9°13'35.184"
15	15	E	78°34'21.5544"	9°13'15.924"
16	16	E	78°34'17.1012"	9°13'2.9532"
17	17	SE	78°34'9.9012"	9°12'47.268"
18	18 (E5)	SE Intersection point of Keelaselvanoor - Orivayal approach road on Keelakarai - Sayalkudi Road	78°34'6.1788"	9°12'37.9116"
19	19	SE	78°34'2.1648"	9°12'38.412"
20	20	SE	78°33'56.1024"	9°12'36.054"
21	21	S	78°33'44.91"	9°12'35.0496"
22	22	S	78°33'26.7732"	9°12'31.7412"
23	23	S	78°33'14.9184"	9°12'29.286"
24	24	S	78°33'9.8856"	9°12'26.5392"
25	25	S	78°32'52.746"	9°12'14.0004"

IndiaCode

26	26	S	78°32'45.4128"	9°12'12.24"
27	27	SW	78°32'27.2724"	9°12'6.6852"
28	28 (E6)	SW Junction of Sathangudi village approach road on East Coast Road	78°32'5.4744"	9°11'46.5612"
29	29	SW	78°32'0.3264"	9°11'55.6764"
30	30	W	78°31'58.1772"	9°12'0.2772"
31	31	W	78°31'56.8812"	9°12'7.1064"
32	32	W	78°31'57.018"	9°12'12.4128"
33	33	W	78°31'54.2496"	9°12'18.5364"
34	34	W	78°31'53.778"	9°12'24.9264"
35	35	W	78°31'52.2228"	9°12'27.8676"
36	36 (E7)	W Along the Sattangudi village approach road	78°31'53.7024"	9°12'35.1504"
37	37	W	78°31'53.7996"	9°12'43.8444"
38	38	W	78°31'50.1744"	9°12'48.6108"
39	39	W	78°31'46.2216"	9°12'53.4744"
40	40	W	78°31'44.4216"	9°13'10.236"
41	41	W	78°31'45.9084"	9°13'19.002"
42	42	NW	78°31'41.9016"	9°13'22.944"
43	43 (E8)	NW Point on western bund of Alangulam Kanmoi	78°31'39.1296"	9°13'25.8204"
44	44	NW	78°31'35.0508"	9°13'28.3836"
45	45	NW	78°31'34.1508"	9°13'38.2404"
46	46	NW	78°31'30.9396"	9°13'47.8848"

IndiaCode

ANNEXURE-IV

LIST OF VILLAGES COMING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF MELASELVANOOR - KEELASELVANOOR BIRD SANCTUARY ALONG WITH GEO-COORDINATES

S. No.	Village Name	Tehsil/ Taluk	District	Latitude (DMS format)	Longitude (DMS format)
1	Melaselvanoor	Kadaladi	Ramanathapuram	9°12'29.19"	78°32'58.47"
2	Puthukudiyiruppu	Kadaladi	Ramanathapuram	9°13'29.53"	78°32'32.32"
3	Alangulam	Kadaladi	Ramanathapuram	9°13'3.55"	78°31'58.78"
4	Keelaselvanoor	Kadaladi	Ramanathapuram	9°12'39.00"	78°34'2.82"
5	Orivayal	Kadaladi	Ramanathapuram	9°14'20.51"	78°32'48.62"
6	Sathangudi	Kadaladi	Ramanathapuram	9°13'3.55"	78°31'58.78"

ANNEXURE –V

Performa of Action Taken Report:

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings:- (mention noteworthy points; attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-Sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.10.16 16:17:11 +05'30'